



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15589

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1814/2026

सलमान खानयाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अंजनी कुमार त्रिपाठी, पंकज शर्मा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया गया है।
3. तदनुसार, रिट याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।
4. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को समान वाद हेतुक के लिए नई याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"